न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 28/2011 (2011/00015)

वादी

1. गोरूलाल पुत्र सुवालाल
   1/1 नरेन्द्र कुमार पुत्र गौरूलाल
   1/2 नरेश पुत्र गौरूलाल
   1/3 विमल पुत्र गौरूलाल
   1/4 निलेश पुत्र गौरूलाल
   1/5 मीरा देवी पुत्री गौरूलाल
   1/6 राकेश कुमार पुत्र मूली पुत्री गौरूलाल
   1/7 दिनेश कुमार पुत्र मूली पुत्री गौरूलाल
   1/8 अंजू पुत्री मूली पुत्री गौरूलाल
   जाति जैन निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चिरंजीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति जैन निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
   1/1 तारामणी पत्नी चिरंजीलाल
   1/2 दिनेश पुत्र चिरंजीलाल
   1/3 धर्मेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल
   1/4 संतोष कुमार पुत्र चिरंजीलाल
   1/5 मनोजकुमार पुत्र चिरंजीलाल
   1/6 मंजू पुत्री चिरंजीलाल
   1/7 अंजू पुत्री चिरंजीलाल

2. मीनादेवी पत्नि स्व0 भंवरलाल
   2/1 नवीन कुमार दत्तक पुत्र मीनादेवी पत्नी भंवरलाल जाति जैन निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
3. नवीन कुमार दत्तक पुत्र स्व0 भंवरनलाल जाति जैन निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. इलायची देवी पत्नी मूलचंद छाबडा निवासी मैन मार्केट मुकाम धोद तहसील धोद जिला सीकर
5. मैनादेवी पत्नी महावीरप्रसाद पाटनी निवासी गढ बाजार के पास, किशनगढ रेनवाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

6. तारादेवी पत्नी स्व0 नेमीचंद झांझरी निवासी सेक्टर नं0 5 सी 17 फ्लेट नं0 302 शांतिनगर मीरा रोड मुम्बई जिला ठाणे।
7. पाना देवी पत्नी प्रकाशचंद ढोलीयां
   7/1 कमल कुमार पुत्र पानादेवी पत्नी प्रकाश चंद जाति जैन
   7/2 विमल कुमार पुत्र पानादेवी पत्नी प्रकाश चंद जाति जैन
   7/3 अनिता पुत्री पानादेवी पत्नी प्रकाश चंद जाति जैन
   सभी निवासी एच बी 6 न्यू इन्द्रा कॉलोनी, बुहरानपुर (मध्यप्रदेश)
8. बीनादेवी पत्नी सुशीलकुमार पाटनी निवासी 314 आकाश विंग, इन्द्रप्रस्थ नगर सत्य साईबाबा नगर के पिदे बोरीवली वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
9. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
10. उप पंजीयक, कुचामनसिटी

वाद इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रामनिवास चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 30.04.2018

वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 स्व0 सुवालालजी के वंशज वारिसान है तथा एक ही परिवार खानदान के सदस्य है। सजरा खानदान इस प्रकार है।

सुवालाल (मृत)
1. चतुर्भुज (मृत)
   1. भंवरलाल पुत्र (मृत)
      1) मीनादेवी पत्नी
      2) नवीनकुमार दत्तक पुत्र
   2. चिरंजीलाल पुत्र
   3. इलाइचीदेवी पुत्री
   4. मेनादेवी पुत्री
   5. तारादेवी पुत्री
   6. पानादेवी पुत्री
   7. बीनादेवी पुत्री
2. गौरूलाल

ग्राम पांचवा की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नं0 496 रकबा 5 बीस्वा बेरा, गत खसरा 497 रकबा 26 बीघा 14 बीस्वा कुल 26 बीघा 16 बीस्वा अल्मशहुर **छः जीमा वाला जाव** वक्त जागीर माजी शेखावत जी सवालकंवर बेवा ठाकुरमानसिंह ठीकाना पांचवा के

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

खुदकाश्त खातेदारी की भूमि रही थी। इस भूमि के नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही सन 1986–90 की अवधी के दौरान नवीन खसरा नं0 394 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, खसरा नं0 395 रकबा 0.03 है0 गै.मु. कुआ व खसरा नम्बर 396 रकबा 4.32 है0 जुमले रकबा 4.36 है0 कायम हुए है।

उपर्युक्त जाव अल्मशहुर छाज्यावाला के खुद कास्त जागीरदार मौजी साबह शेखावत सवालकंवर बेवा ठाकूरमानसिंहजी ठीकाना पांचवा खुदकास्त अधिकारों की वक्त जागीर रही तथा जागीर पुनग्रर्हण के पश्चात उन्हे स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। इस भूमि को खुदकाष्त खातेदार मौजी साहब शेखावतजी सवाल कंवर द्वारा दिनांक 01.04.1958 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र सं0 118–1958 के वादी गोरूलाल व उनके भाई चतुर्भुज पुत्र श्री सुवालाल जाति महाजन निवासी पांचवा को तत्समय विधमान बाजारदर से रूपये 400/– (चार सौ रूपयों) में विक्रय कर दी गई तब से इस भ्झूमि पर बतौर कृषक काबिज रहे। लेकिन खाते में वादी का नाम दर्ज होने से छूट गया।

दिनांक 01.04.1958 से वादी व उसके भाई चतुर्भुजजी सम्मिलित रूप से बतौर कृषक बहिस्सा बराबर से काबिज रहे है तथा सयुक्त रूप से निश्चित लगान सरकार में जमा कराते रहे है। तथा इस भूमि के चारों तरफ पक्की चार दीवारी वादी व चतुर्भुज जी ने अपने खर्चे तथा पुराने कुआ के पास पशुधन व चारा मण्डारण हेतु पक्के मकानात बनाए गए जो विधमान है।

चतुर्भुज जी अयूभन गांधीधाम में व्यवसायवश रहे तथा गांव की जमीने वादी सम्भालता रहा। सन 1995 में चतुर्भुजजी गांव पांचवा मे आए तथा भाईयों के बीच आपसी बंटवारा हुआ। इस आपसी बंटवारा में गांव पांचवा में स्थित पुश्तैनी मकान व गांव पांचवा की सरहद में स्थित उपर्युक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी गोरूलाल के बंट व अधिकार में रखी तथा पांचवा से बाहर अन्य व्यवसाय व परिसम्पतियों चतुर्भुज जी के हक में रखी गई। सन 1995 के वाद चतुर्भुज जी का कोई अधिकार नहीं रहा है।

सन 1995 से वादी गोरूलाल ने उपर्युक्त सम्पूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग वादी जायज रूप से करता आ रहा है तथा सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवर्ष सावणु–उन्हालू फसल करता आ रहा है। सन 1996 में वादी गारूलाल ने अपने खर्चे से नया कुआ व ट्यूबवेल बनाकर पूर्व से विधुत कृषि कनेक्शन को इस कुए पर लगाया है जिससे वादी इस भूमि की सिंचाई करता आ रहा है। इस कुए, ट्यूबवेल के पास पशुधन व चारा मण्डारण हेतु टीनशेड व छप्पर वादी द्वारा बनाए गए है जो विधमान है। इस भूमि व उसमें बने कुए ट्युबवेल व मकानादि व टीनशेड, सिचाई के उपकरणों पर चतुर्भुज जी का कोई अधिकार नहीं रहा है।

वादी को उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अकेले चतुर्भुजजी का नाम होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा आपसी पारिवारिक बंटवारा स्वरूप वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो वे आश्वासन देते रहे तथा व्यवसायवश गांधीधाम में रहने से दिनांक 2.01.1996 को चतुर्भुज जी का स्वर्गवास हो गया। राजस्व रेकर्ड में चतुर्भुज के नाम के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज हो गया लेकिन उनका पारिवारिक बंटवारा स्वरूप कोई अधिकार इस भूमि पर नही रहा।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादी ने स्व0 चतुर्भुज के वारिसान का नाम रेकर्ड में दर्ज होने के बाद प्रतिवादी चिंरजीलाल व उसके भाई भंवरलाल को रेकर्ड दुरूस्ती हेतु कहा जाता रहा और वे आश्वासन देते रहे तथा जब भी गांव में आवेगे तो खाता दुरूस्त करा दिया जावेगा। लेकिन प्रतिवादी चिरंजीलाल भी गांव नहीं आपाये।

स्व0 चतुर्भुज के पुत्र भंवरलल का कोई पुत्र संतान नहीं होने से उन्होने वादी के जायंदा पुत्र नवीन कुमार को उसकी बाल्य अवस्था में ही गोद ले लिया था लेकिन विधिवत गोंदनामा का पंजीयन दिनांक 15.10.2003 को कराया गया। दिनांक 26.12.2010 को भंवरलाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके उत्तराधिकारी उनकी पत्नी मीनादेवी व दत्तक पुत्र नवीन कुमार है। चतुर्भुज के 5 पुत्रिाया है जो शादिशुदा है तथा उपने ससुराल मे रहकर अलग परिवार की सदस्य है। लेकिन फौतगी नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 ता 8 5 पुत्रियों का नाम दर्ज हो गया लेकिन उनका भी कोई भौतिक कब्जा व हक प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का नहीं रहा है।

अब प्रतिवादीगण 1 ता 3 की नियत में फितुर भी आ गया है तथा बार बार उनसे खाता दुरूस्ती का अनुरोध करते रहने के बाद अब करीब 1 माह से इंकार करने लग गए है तथा पर कहा गया की वे कभी भी खाता दुरूस्त नहीं करायेगें तथा भूमि खाते के अंकन के आधार पर किसी भी भू माफिया गिरोह के सदस्यो के नाम हस्तान्तरण कर वादी को बेदखल करा देंगें। जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 3 को ऐसा करने का कोई हक नहीं है या वादी के भौतिक कब्जा व अधिकार में व्यवधान न डाले इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वादी हकदार है।

वादी सन 1995 के बाद निरन्तर व अबाध रूप से इस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर काबिज रहने से व भूमि का उपयोग उपभोग करते रहने से एडवर्स पजेशन का टाइटल भी वादी के हक में परफेक्ट हो जाने से वादी स्वतः उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार पाने के हकदार है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है':–

ग्राम पांचवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नं0 394 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 395 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 396 रकबा 4.32 है0 जुमले 4.36 है0 सम्पूर्ण का वादी काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व अभिलेख से प्रतिवादीगण 1 ता 8 का नाम हटाया जावें।

वादीगण का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में दर्ज होकर दिनांक 20.06.2011 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7 की ओर से वकील श्री मो0 हनीफ उपस्थित, शेष की तलबी जारी की गई। दिनांक 17.02.2012 को प्रतिवादी सं0 9,10,11 गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यू के संबंध में कायम मुकाम की प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.14 को स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 1 चिरंजीलाल के कायम मुकाम तारामणी पत्नी चिरंजीलाल व दिनेश, धर्मेन्द्र, संतोष कुमार, मनोज कुमार पुत्र चिरंजीलाल व मंजू पुत्री चिरंजीलाल को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया। वादी की मृत्यू होने पर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उनकी प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.16 को स्वीकार कर उनके कायम मुकाम को पक्षकार वादी बनाया गया। प्रतिवादी सं0 7 पानादेवी का देहान्त दिनांक 26.10.2015 को जाने पर उनके कायम मुकाम को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादी सं0 2 मीना देवी का देहान्त दिनांक 27.10.2016 को हो जाने पर उनके कायम मुकाम को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया। दिनांक 27.04.2018 को वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया।

वकुलाय ने गवाह जबाब पेश नहीं कर बहस सुनाई। बहस में जरीये राजीनामा वाद का निर्णय करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर वादी का वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात, खतौनी, प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 3 व 4 एवं राजीनामा का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर वाद को जरीये राजीनामा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम पांचवा के खसरा नं0 394 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 395 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 396 रकबा 4.32 है0 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा वादी नरेन्द्र कुमार पुत्र गौरूलाल व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी दिनेश, 1/6 हिस्सा धर्मेन्द्र , 1/6 हिस्सा संतोष कुमार, 1/6 हिस्सा मनोज कुमार व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 नवीन कुमान दत्तक पुत्र भंवरलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदार भंवरलाल, चिरंजीलाल पिता चतुर्भज, इलायची देवी, मैना देवी, तारा देवी, पाना देवी, बीना देवी पिता चतुर्भज का नाम हटाया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 30/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)